Reg. No.: 444/1990-91

The Himalayan Public School Seva Sansthan

Add:- B-4, Lekhraj-1, Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow
Ph:- 09415001662, 07897000465

Ref.............................. Date 25/7/2018

दिनांक 25/07/2018 की बैठक

आज दिनांक 25/07/2018 को संस्थान के प्रबन्धकारणी की एक बैठक आयोजित की गयी थी जो सांय 5 बजे बी–4 लेखराज मार्केट में संपन्न हुयी। इस बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लियाः–

1. श्री दिलीप सिंह बाफिला – अध्यक्ष
2. श्रीमती धना – प्रबन्धक/मंत्री
3. श्री विक्रम सिंह – उपाध्यक्ष
4. श्री नरेन्द्र सिंह – उंपप्रबंधक
5. श्रीमती लीला देवी– कोषाध्यक्ष
6. श्री प्रवीन सिंह – सदस्य
7. श्री पंकज सिंह – सदस्य
8. श्री गोविन्द सिंह – सदस्य
9. श्री हरीश सिंह– सदस्य
10. श्रीमती समता सिंह– सदस्य
11. कु. करिश्मा बाफिला– सदस्य

इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गयाः–

प्रस्ताव सं0 1 विगत कार्यवाही की पुष्टि पर विचार	उप प्रबन्धक द्वारा पिछली कार्यवाही पढकर सुनायी गयी जिसकी पुष्टि सर्वसम्मति से सभी सदस्यों द्वारा कर दी गयी।
प्रस्ताव सं0 2 दि हिमालयन पब्लिक स्कूल सेवा संस्थान के अन्तर्गत हिमालयन ग्लोबल एकेडमी (सी0बी0एस0ई0से सम्बद्व) नर्सरी से कक्षा 12 तक कालेज खोले पर विचार।	उप प्रबन्धक ने अवगत कराया कि मोहम्मदपुर सरैया जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है जहां पर सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्व कोई नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के अध्ययनरत हेतु कालेज नहीं है जहां पर हिमालयन ग्लोबल एकेडमी (सी0बी0एस0ई0से सम्बद्व) नर्सरी से कक्षा 12 तक कालेज खोले जाने का विचार रखा जिस पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया गया जिस पर सभी पदाधिकारियों ने सहमति जतायी अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमती समता सिंह को अधिकृत किये जाने की पुष्टि की गयी।
प्रस्ताव सं0 3 दि हिमालयन पब्लिक स्कूल सेवा संस्थान के अन्तर्गत हिमालयन ग्लोबल एकेडमी (सी0बी0एस0ई0से सम्बद्व) नर्सरी से कक्षा 12 तक कालेज खोले जाने हेतु दि हिमालयन पब्लिक स्कूल सेवा संस्था के नियमावली में संशोधित	"दि हिमालयन पब्लिक स्कूल सेवा संस्थान" के अधीनस्थ हिमालयन ग्लोबल एकेडमी (सी0बी0एस0ई0से सम्बद्व) नर्सरी से कक्षा 12 तक कालेज खोले जाने हेतु नियमावली के पेज सं0 3 में प्रबन्ध कारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य जो 1 से 5 तक पूर्व से दर्शित है उनमें सी0बी0एस0ई0 के प्राविधानानुसार निम्न अधिकार एवं कर्तव्य बढ़ाये जाने पर विचार किया गया 6. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण

जाने पर विचार		कराया जायेगा। 7. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। 8. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा। और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। 9. संस्था राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/ काउन्सिल फार दि इण्डियन् स्कूल सार्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी। 10. संस्था के शिक्षण /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें। 11 कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें। 12 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी। 13 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजीकाओं में रखा जायेगा। जिस पर सभी पदाधिकारियों की सहमति प्राप्त हुयी तथा सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी गयी।

सत्य प्रमाणित प्रति

J. Singh

(विकम सिंह)
वाईस चेयरमैन